


उपसंचालक कृषि हरदा

सूचना के अधिकार अधिनियम –2005

जिला – हरदा

ORGANIZATION SET-UP
Function and duties of different
Office constituting
the Organization U/S 4.1 (b) (i)
1- Name of the office organisation setup.

कार्यालय उपसंचालक कृषि हरदा



1- B Functions and duties of each unit of the office (1 to 2 Page)

उपसंचालक कृषि हरदा कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्य/दायित्व

क्रं.	शाखा का नाम	प्रभारी अधिकारी	शाखा प्रभारी	निर्वाही सहायक	शाखा के कार्य का विवरण
1	T-1 तकनीकी शाखा -1	श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि	श्री बी.डी. उपाध्याय व.कृ.वि.अधिकारी	—	सूरजधारा, अन्नपूर्णा जिला पंचायत की बैठक, कृषि स्थाई समिति की बैठक, राज्य एवं संभाग स्तरीय बैठकें उनके कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन, महिला नीति, नीजि संस्थाओं की भागीदारी, कल्चर सिटीजन चार्टर,
2	T-2 तकनीकी शाखा -2	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि	श्री एन.आर. सविता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी 1 श्री बी.डी.उपाध्याय	श्री पंकज तिवारी सहायक ग्रेड-3 —“—	कपास, आत्मा आइसोपाम, राष्ट्रीय विकास योजना, बीज संबंधित कार्य, हलधर योजना, जिला योजना मंडल से समस्त कार्य, बीज उत्पादन सहकारी समिति संबंधित समस्त कार्य, बीज ग्राम योजना, स्पिंगकलर टापअप, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेंहूँ एवं दलहन) संबंधित समस्त कार्य,
3	T-3 तकनीकी शाखा -3	श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि	श्री एस.एल. चौधरी कृषि विकास अधिकारी	श्री एम.पी. अग्रवाल सहायक ग्रेड-3	बायोगैस, आई.एम.एम., जैविक खेती, नाडेप, बर्मीकाम्पोस्ट,मापावा, अनुसूचित जाति प्रशिक्षण, किसान दीदी, किसान मित्र, गोबर गैस टापअप
4	T-4 तकनीकी शाखा -4	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि	श्री एन.आर. सविता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	श्री जी.एस. यादव ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	बीज, बीज गुण नियंत्रण, बीज लाईसेंस, उर्वरक, उर्वरक गुण नियंत्रण, उर्वरक लाईसेंस,डी कन्ट्रोल, उर्वरक व्यवस्था, पौधसंरक्षण, पौधसंरक्षण गुण नियंत्रण, पौधसंरक्षण लाईसेंस, कीटव्याधि प्रतिवेदन, एवं पौधसंरक्षण संबंधी समस्त कार्य

5	T-5	तकनीकी शाखा -5	श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि	श्री एल.एन. बागरे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	श्री एम.पी. अग्रवाल सहायक ग्रेड-3	मोटा अनाज, सतत गन्ना, मिट्टी परीक्षण, कृषि यंत्रीकरण, बीस सूत्रीय कार्यक्रम, कृषि आदान पखबाड़ा, मिनीकिट, बैलगाड़ी अनुदान,
6	T-6	तकनीकी शाखा -6	श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि	श्री जे.एस. तोमर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	श्री पंकज तिवारी सहायक ग्रेड-3	जल ग्रहण क्षेत्र, लघुत्तम सिंचाई, भूजल संबर्धन, खेत तालाब, बलराम तालाब, एवं भूमि संरक्षण संबंधी समस्त कार्य ।
7	T-7	तकनीकी शाखा -7	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि	श्री एन.आर. सविता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	-	लघु सिंचाई नलकूप, जलउपयोगिता समिति, पोस्ट हारवेस्टिंग, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल कटाई प्रयोग, परिणाम, आकस्मिक कार्य योजना, बाढ़-ओला-पाला-वर्षा, फसल पूर्वानुमान, फसल क्षेत्राच्छादन, आदान समीक्षा बैठक, खरीफ-रबी समीक्षा बैठके, परख कार्यक्रम, सी.एम. मानीटरिंग, (समाधान ऑनलाईन) किसान आयोग, किसान मंच, मण्डी समिति, सूचना शिविर, लोक कल्याण शिविर, अन्य बैठकें, एवं जनसमस्या निवारण शिविर, एवं संबंधित समस्त कार्य ।
8	T-8	तकनीकी शाखा -8	श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि	श्री एन.आर. सविता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	श्री जे.पी. इंगले सहायक ग्रेड-3	शासकीय कृषि प्रक्षेत्र पानतलाई से संबंधित समस्त कार्य, सूचना एवं प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी,
9		लेखा शाखा -1	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि	श्री आर.बी. तिरौल्या लेखापाल	-	केश-बुक का संधारण, देयकों का आहरण वितरण, आवंटन व्यय पजी का संधारण, बजट नियंत्रण, बजट तैयार करना, मासिक व्यय पत्रक, राजस्व प्राप्ति, आडिट संबंधी कार्य एवं उनके पालन प्रतिवेदन लोक लेखा समिति सं संबंधित कार्य एवं बैंक ट्रेजरी, तथा लेखा से संबंधित अन्य
10		लेखा शाखा -2	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि	श्री एम.पी. अग्रवाल सहायक ग्रेड-3	-	जी.पी.एफ, डी.पी.एफ. की स्वीकृति, पास-बुको का संधारण, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अग्रिम स्वीकृति की कार्यवाही, एवं समस्त कटोत्रों का पंजीयो का संधारण, वेतन देयक तैयार करना ।


11		लेखा शाखा -3	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि	श्री पंकज तिवारी सहायक ग्रेड-3 ---"---	—	आत्मा योजना से संबंधित लेखा संबंधी कार्य । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित लेखा संबंधी कार्य ।
12		गोपनीय शाखा/मुख्य लिपिक शाखा	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि	श्री आर.एस. मेहर मुख्य लिपिक	—	उपसंचालक कृषि के निजी सहायक का कार्य, गोपनीय चरित्रावलीयों का संधारण कार्य, दोरा डायरी अनुमोदन, टी.एल. पत्रों का निराकरण, शिकायत, विधानसभा प्रकोष्ठ तथा विधानसभा संबंधित समस्त कार्य, अंकेक्षण आक्षेपण का निराकरण विभागीय जाँच, निलंबन छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ संबंधी कार्यवाही विभागीय परामर्श समिति की बैठक का आयोजन एवं प्रतिवेदनअवकाश के दिनां मे भृत्यों की ड्यूटी, एवं अन्य गोपनीय कार्य । एवं लोक सूचना अधिकारी के सहायक का कार्य ।
13		स्थापना शाखा	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि	श्री एम.पी. अग्रवाल सहायक ग्रेड-3	—	व्यक्तिगत नस्थियों एवं सेवा पुस्तिकाओ का संधारण एवं कार्यवाही, वेतन वृद्धि पंजी, उपस्थिति पंजी, आकस्मिक अवकाश पंजी, स्थापना स्थिति पंजी, सेवा पुस्तिकाओ की पंजी, आदेश पंजी,, स्थापना ग्रुप की बैठक संबंधी रिपोर्ट, प्रतिवेदन (प्रपत्रों की जानकारी का संकलन), निर्वाचन, बाढ़ एवं अन्य कार्यों की कर्मचारियों की ड्यूटी, प्रतिनियुक्ति, सम्बद्धता, रिडिप्लायमेंट संबंधी कार्य, शासन के परिपत्र, निर्देशां, ओदशों का संकलन एवं क्रियान्वयन नस्थी, अचल सम्पत्ति का विवरण, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संबंधी जानकारी, पत्राचार, वेतन देयक हेतु मदवार जानकारी , उपस्थिति का विवरण ,कर्मचारियों का आर्थिक गणना (सांख्यिकी), स्थापना आदेश नस्थी का संधारण, पद निरंतरता स्वीकृति , पद स्थापना नस्थियों परिपत्रों, वरिष्ठता सूचियों, विभागीय सेट- अप पदों का पुर्नगठन , सभी वर्ग के अधिकारी / कर्मचारियों की पदस्थापना, स्थानांतरण, वरिष्ठता, पदोन्नति संबंधी कार्यवाही, वेतन निर्धारण एवं अनुमोदन की कार्यवाही । विशेष भर्ती अभियान रिपोर्ट, लंबी अवधि के अनुपस्थिति प्रकरण । अधीनस्थ कार्यालयों के अवकाश प्रकरण । कार्यालयीन कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन एवं आवंटन की कार्यवाही । त्याग पत्र संबंधी कार्यवाही क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान की कार्यवाही, सेवा निवृत्ति एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों का निराकरण, पेंशन संबंधित कार्य एवं अन्य संबंधित कार्य वार्षिक निरीक्षण, एवं उनके पालन प्रतिवेदन, संबंधित समस्त कार्य । अपील अधिकारी को सूचना के अधिकार संबंधी कार्य में सहायक ।
						संबंधित कार्य, वार्षिक निरीक्षण एवं उनके पालन प्रतिवेदन, एवं लोक सूचना के अधिकार के तहत अपीलीय अधिकारी के सहायक का कार्य ।

14		भंडार शाखा	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि	श्री जे.पी. इंगले सहायक ग्रेड-3	—	भंडार का संपूर्ण कार्य, सामान्य भंडार लेखा, वाहन, मशीनरी, उपकरण, आदि का रखरखाव, कार्यलय की साफ –सफाई व्यवस्था, बिजली पानी आदि की व्यवस्थाएँ, मेला प्रदर्शनी संबंधी समस्त काय। लाग-बुक का संधारण, एवं अन्य समय-समय पर सोपे गये कार्य, कृषि नेट एवं डाक मार्किंग
15		कम्प्यूटर शाखा	श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि	श्री पंकज तिवारी सहायक ग्रेड-3	—	एग्रीसनेट से संबंधित डाटा एंट्री एवं अन्य संबंधित समस्त कार्य, इन्टरनेट संबंधी समस्त कार्य, (ई-मेल फ़ैक्स आदि) एवं कम्प्यूटर टाईपिंग एवं अन्य समस्त कार्य ।
16		फोटो कापी शाखा	श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि	श्री जे.पी. इंगले सहायक ग्रेड-3	—	फोटो कापी मशीन का रखरखाव, एवं फोटो कापी संबंधी समस्त कार्य का संपादन।
17		सूचना के अधिकार संबंधित शाखा	श्री आर.पी. परमार सहायक संचालक कृषि (लोक सूचना अधिकारी)	श्री बी.डी. उपाध्याय वरि.कृ.वि.अधि. (सहायक लोक सूचना अधिकारी)	श्री आर.एस. मेहर मुख्य लिपिक श्री आर.बी.रघुवंशी सहायक ग्रेड-03	सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं संबंधित समस्त कार्य।
18		आवक/जावक शाखा	श्री विलास पाटिल सहायक संचालक कृषि	श्री जे.पी. इंगले सहायक ग्रेड-3	श्री लक्ष्मीनारायण भृत्य	आवक पंजी, का संधारण एवं डाक पत्रों, को आवक करना, मार्क कराने हेतु प्रस्तुत करना आदि, जावक पंजी, डाक टिकिट पंजी, तार एवं जावक संबंधी समस्त कार्य आदि।

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कर्तव्य / दायित्व
1	श्री पी.गुजरे	उपसंचालक कृषि वर्ग-1	जिले में कृषि संबंधी गतिविधियों योजनाओं का क्रियान्वयन एवं वर्ग -2 वर्ग 3 वर्ग 4 कर्मचारियों का प्रशासनिक वित्तीय नियंत्रक कृषि उत्पादन बढ़ाने में अन्य विभागों का सहयोग प्राप्त करना ।
2	श्री विलास पाटिल	सहायक संचालक कृषि वर्ग -2	कृषि गतिविधियों का सुपरवीजन/प्रशिक्षण प्रचार प्रसार एवं कार्यालयीन कार्यों का संपादन।
3	डॉ. आर.पी. परमार	सहायक संचालक कृषि वर्ग -2	कृषि गतिविधियों का सुपरवीजन/प्रशिक्षण प्रचार प्रसार एवं कार्यालयीन कार्यों का संपादन।
4	श्री सुरेन्द्र अमरुते	सहायक संचालक कृषि वर्ग -2	कृषि गतिविधियों का सुपरवीजन/प्रशिक्षण प्रचार प्रसार एवं कार्यालयीन कार्यों का संपादन।
5	श्री देवीसिंह वर्मा	सहायक संचालक कृषि वर्ग -2	कृषि गतिविधियों का सुपरवीजन/प्रशिक्षण प्रचार प्रसार एवं कार्यालयीन कार्यों का संपादन।
6	श्री एच.ओमकार	सहा. भूमिसंरक्षण अधिकारी	भूमिसंरक्षण संबंधी एवं तालाब निर्माण कार्य राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम एवं नदीघटी विकास कार्यक्रम व अधीनस्थ अमले का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण ।
7	श्री व्ही.के.भट्ट	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	जिले में कृषि संबंधी गतिविधियों/योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कर्मचारी वर्ग 03 एवं वर्ग 04 का प्रशासनिक / वित्तीय नियंत्रण, कृषि उत्पादन बढ़ाने में अन्य विभागों का सहयोग प्राप्त करना।

3— **Decision Making process in graphic form (one page) U/S 4.1 (b) (iii)**
Desision Making Process in graphic form U/S (b) (iii)

कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया ग्राफ़ उपसंचालक कृषि – हरदा



मुख्य लिपिक

शाखा प्रभारी स्थापना/लेखा

4- A) Time norm if decided by the organisation. U/S 4.1 (b) (iv)

कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदंड तय किये जाने संबंधी जानकारी ।

क्रं.	कार्य गतिविधि/योजना का नाम	प्रभारी/निहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित	
1	उर्वरक निर्माण एवं व्यवसाय के लिये पंजीयन एवं पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण	उपसंचालक कृषि (उर्वरक पंजीयन अधिकारी)	30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
2	पौध संरक्षण औषधियों के निर्माण व्यवसाय के लिये अनुज्ञप्ति जारी करना तथा नवीनीकरण	उप संचालक कृषि	30दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
3	प्रमाणित बीजों के व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना तथा नवीनीकरण	उपसंचालक कृषि	30 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस
4	विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी	उप संचालक कृषि	10 दिवस	कलेक्टर	5 दिवस
5	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राही चयन	मु.का.अधि./उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
6	विभिन्न योजना के अन्तर्गत अनुदान का विवरण	मु.का.अधि./उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
7	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों का वितरण (हस्त चलित)	मु.का.अधि./उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस

8	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों का वितरण (शक्ति चलित)	मु.का.अधि/उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
9	नलकूप खनन पर अनुदान	मु.का.अधि/उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
10	कृषक भ्रमण की जानकारी	मु.का.अधि/उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
11	कृषक प्रशिक्षण की जानकारी	मु.का.अधि/उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
12	नाडेप विधि से गोबर/कम्पोस्ट खाद तैयार करने के संबंध में	मु.का.अधि/उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
13	परकोलेशन टैंक/ वाटर हारवेस्टर स्ट्रक्चर के निर्माण के संबंध में	मु.का.अधि/उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
14	नदी घाटी एवं वांड उन्मुख योजना की जानकारी	मु.का.अधि/उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
15	वर्षा आश्रित जल ग्रहण क्षेत्र विकास के संबंध में	मु.का.अधि/उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
16	राष्ट्रीय वायोगैस परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र के निर्माण हेतु अनुदान	जिला प्रबंधक म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
17	मिट्टी नमूनों की जांच उपरांत उर्वरक अनुशांसा	उप संचालक कृषि	15 दिवस	कलेक्टर	7 दिवस
18	डोजर/ट्रेक्टर/रोटावेटर/ड्रिलिंग बॉरिंग उपकरण किराये से देना विकास प्राधिकरण कृषि यंत्रीकरण हेतु प्रोत्साहन	क्षेत्र के सहायक कृषि यंत्री	प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर	कृषि यंत्री	7 दिवस
19	उन्नत एवं विपुल उत्पादक बीजों का उत्पादन	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
20	जैविक एवं टिकाऊ खेती का विकास	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
21	कृषि विस्तार प्रशिक्षण एवं प्रचार	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
22	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
23	भूमिगत जल संवर्धन योजना	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
24	केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :-				

25	दलहन फसलों का उत्पादन	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
26	तिलहन विकास कार्यक्रम	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
27	मक्का विकास कार्यक्रम	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
28	कपास विकास कार्यक्रम	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
29	विशेष मिलेट कार्यक्रम	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
30	राज्य योजनाये :-				
31	अन्नपूर्णा योजना	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
32	सूरज धारा योजना	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
33	गन्ना विकास कार्यक्रम	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
34	कपास विकास कार्यक्रम	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
35	नाडेप विधि से कम्पोस्ट खाद तैयार करना	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
36	नलकूप योजना	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
37	सहकारी समितियों में आदान व्यवस्था	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
38	सहकारी समिति में उर्वरक भंडारण व्यवस्था	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
39	सहकारी समितियों में बीज व्यवस्था खरीफ	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
40	सहकारी समितियों में बीज व्यवस्था रबी	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
41	म.प्र. कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना के अंतर्गत सुविधायें एवं क्रियान्वयन संबंधी जानकारी	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
42	विभिन्न मौसमों के अनुरूप अधिघोषित फसलों के अनुसार फसल बीमा के अंतर्गत प्रावधान सुविधायें एवं क्रियान्वयन संबंधी जानकारी	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
43	पौध संरक्षण पर तकनीकी जानकारी बायो ऐजेंट बायो तकनीकी की जानकारी	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
44	मैक्रोमेनेजमेंट योजनाये :- एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम चावल	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
45	एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम मोटा अनाज	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस

46	सतत गन्ना विकास कार्यक्रम	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
47	उर्वरक के संतुलित एवं समुचित उपयोग	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
48	एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन आई.पी.एम.	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
49	शक्कर कारखाने हेतु क्षेत्र संरक्षण के संबंध में जानकारी	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
50	जैविक खेती योजना अंतर्गत तकनीकी जानकारी/अनुदान पात्रता के संबंध में जानकारी	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
51	राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास योजना	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
52	नदी घाटी योजना	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस
53	नदी घाटी नर्मदा घाटी	उप संचालक कृषि	7 दिवस	कलेक्टर	3 दिवस

**List of acts, Rules, Regulations Manuals, Circulars related with the functioning of office constituting the orgaaiztion.
(Original text to be given in electronic form) U/S 4.1(b) (v)**

Acts :-

- 1 मूलभूत नियम पार्ट -1 एवं 2
- 2 अवकाश नियम
- 3 पेंशन नियम
- 4 वेतन निर्धारण नियम
- 5 विभागीय जांच
- 6 सिविल सेवा आचरण नियम 1965
- 7 म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील 1966
- 8 म.प्र. वित्त संहिता भाग-1 व 2
- 9 म.प्र. कोष संहिता
- 10 यात्रा भत्ता नियम भविष्य निधि नियम, चिकित्सा क्षतिपूर्ति नियम।

Rules :-

Regulations :-

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005

उर्वरक शाखा :-

शाखा में संधारित पंजी :-

1. उर्वरक गुण नियंत्रण पंजी : जिले से परीक्षण हेतु भेजे जाने वाले उर्वरक नमूनों का विवरण एवं प्राप्त परिणाम की जानकारी रखना।
2. उर्वरक लायसेंस पंजी : जारी किये गये उर्वरक लायसेंस का पंजीकरण करना।
3. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधान नियमों के अंतर्गत उर्वरक व्यवसाय कराना।

प्रावधानिक नियम :- 3, 4, 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 1,22,23,25,26,27,28,29,30,31,34, 5,36,37 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत विक्रेताओं पर नियम 3,7 में कार्यवाही करना।

पौध संरक्षण शाखा :-

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी :- कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971

2. अभिलेखों की सूची :-

1. कीटनाशक लाइसेंस पंजी।
2. कीटनाशक औषधि गुण नियंत्रण पंजी।

बीज शाखा :-

1. Rules :-
2. अभिलेखों की सूची
3. बीज लाईसेंस पंजी
4. बीज गुण नियंत्रण पंजी

Manuals

Circulars :- म.प्र. पुस्तक परिपत्र एवं जनरल सरकुलर नस्ती।

6— Statement of various categories of documents held by it or under its control U/S 4.1 (b) (vi)

S.N.	Name of Document	Kind of Document the microfilm Register Books, Diskette etc,	Nature and Content of Document
1	रोकड़ पंजी	—	Register Books
2	आकस्मिक निधि पंजी	—	Register Books
3	देयक पंजी	—	Register Books
4	चैक रजिस्टर	—	Register Books
5	बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर (आवक—जावक)	—	Register Books
6	आवंटन पंजी	—	Register Books
7	अग्रिम पंजी	—	Register Books
8	ए. रोल पंजी	—	Register Books
9	प्रतिभूति पंजी	—	Register Books
10	एम.पी.टी.सी. 6	—	Register Books
11	यात्रा भत्ता पंजी	—	Register Books
12	चिकित्सा देयक पंजी	—	Register Books
13	जी.पी.एफ. पंजी	—	Register Books
14	डी. पी. एफ. पंजी	—	Register Books
15	यात्रा अग्रिम पंजी	—	Register Books
16	त्यौहार अग्रिम पंजी	—	Register Books
17	अनाज अग्रिम पंजी	—	Register Books
18	मोटर साईकिल अग्रिम पंजी	—	Register Books

19	ग्रह निर्माण अग्रिम पंजी	—	Register Books
20	कर्मचारी का पे डेटा पंजी	—	Register Books
21	बजट आवंटन नस्थी	—	Register Books
22	देयक नस्थी	—	Register Books
23	वेतन पत्रक	—	Register Books

फाईल पंजी :-

- 1 स्टेशनरी क्रय पंजी
- 2 वाहन रिपेयरिंग पंजी
- 3 वाहन डीजन आईल पंजी
- 4 कंजूमेबल पंजी
- 1 स्थायी सामग्री पंजी
- 5 दूरभाष विद्युत पंजी
- 6 भंडार क्रय नियम पुस्तक
- 7 भवन निर्माण सुधार फाईल
- 8 विद्युत व्यय फाईल
- 9 दूरभाष व्यय फाईल
- 10 वाहन रिपेयरिंग फाईल
- 11 लाग बुक
- 12 स्वीकृति आदेश बुक फाईल
- 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वाहन चालकों को बर्दी प्रदाय फाईल

स्थापना शाखा में संधारित पंजियाँ :-

- 1 न्यायालयीन प्रकरण पंजी
- 2 विभागीय जॉच पंजी
- 3 शिकायत पंजी

- 4 परामर्श समिति की बैठक पंजी
- 5 आकस्मिक अवकाश पंजी
- 6 आदेश/निर्देश पंजी
- 7 विधानसभा प्रश्न पंजी
- 8 वेतन वृद्धि पंजी
- 9 क्रमोन्नति वृद्धि पंजी
- 10 से.नि. कर्मचारी की पंजी

7- I- Structure of Consultative committees in which public representatives are members including.

- 1 म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज के अधिनियम के तहत गठित कृषि समिति के सदस्यों एवं सभापति की सूची संलग्न हैं ।

2

1. म.प्र. पंचायत कृषि ग्राम स्वराज के अधिनियम के तहत कृषि समिति के सदस्यों/सभापति की जानकारी

1	मान. श्रीमती रानु दशरथ पटेल	सभापति	ग्राम सांगवा, पोष्ट चारूवां, तह.खिरकिया
2	मान. श्रीमती सुप्रिया पटेल	सदस्य	ग्राम पोष्ट रन्हाईकलां तह. हरदा
3	मान. श्रीमती संगीता गौर	सदस्य	ग्राम फुलड़ी, पो. रहटगांव, तह. टिमरनी
4	मान. श्री रविशंकर झिंझोरें	सदस्य	ग्राम पो. खेड़ा, तह. हरदा

5	मान. श्री भूपेन्द्र शाह	सदस्य	ग्राम पो. मकड़ाई, तह. सिराली
6	उप संचालक कृषि सचिव	सचिव	कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा

8-1- Name of the boards council, committees etc. including member and their qualification.

कार्यालय कलेक्टर हरदा

क्रमांक/उ.स.कृ./टी-1/आत्मा/गवर्निंग/बोर्ड/07-08/1325

हरदा, दिनांक 10.08.2007

मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग, भोपाल का आदेश क/बी-6/9/2007/14-2 दिनांक 15.06.2007 के निर्देशानुसार कलेक्टर जिला हरदा की अध्यक्षता में " आत्मा गवर्निंग बोर्ड का गठन के अंतर्गत कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के संचालन हेतु आत्मा (एग्रीकल्चर टेक्नॉलाजी मैनेजमेण्ट एजेंसी) का गठन किया गया। आत्मा गवर्निंग बोर्ड में जिले के निम्नानुसार सदस्यो को नामांकित किया जाता है।

क्र०	अधिकारी का नाम	पदनाम	स्टेटस
1	श्री जॉन किंग्सली	कलेक्टर हरदा	अध्यक्ष
2	श्री मदन कुमार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, हरदा	सदस्य
3	श्री मति रानू दशरथ पटेल	अध्यक्ष कृषि स्थाई समिति जिला पंचायत हरदा	सदस्य
4	डॉ. आर.सी. शर्मा	कृषि विज्ञान केन्द्र हरदा	सदस्य
5	श्री श्रीराम	अग्रणी बैंक अधिकारी	सदस्य
6	श्री	महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र हरदा	सदस्य
7	श्री	कृषि विपणन बोर्ड के प्रतिनिधि एच.आई.जी.-3 नेहरू स्टेडियम हरदा	सदस्य
8	श्री परसराम धुर्वे	मत्स्य पालन प्रतिनिधि ग्राम छुरीखाल विकासखण्ड खिरकिया	सदस्य
9	श्री कमल राज पाटिल	रेशम पालन प्रतिनिधि ग्राम सोडलपुर विकासखण्ड टिमरनी	सदस्य
10	श्री अमरसिंह मीणा	कृषक प्रतिनिधि ग्राम मरदानपुर विकासखण्ड खिरकिया	सदस्य
11	श्री अतुल बारंगे / गौरीशंकर बारंगे	पशुपालक प्रतिनिधि ग्राम सौताड़ा विकासखण्ड टिमरनी जिला हरदा	सदस्य
12	श्री जयनारायण बांके	ग्राम बंदी महोड़िया विकासखण्ड खिरकिया	सदस्य
13	श्रीमति कृष्णा लेगा	महिला कृषक समूह ग्राम रिजगांव हरदा	सदस्य
14	श्री राजेश वर्मा	अशासकीय स्वयं सेवी संस्था समावेश संस्था हरदा	सदस्य
15	श्री	दूरदर्शन केन्द्र प्रतिनिधि हरदा	सदस्य
16	श्रीमति कमलाबाई (अ.जा.)	अनुसूचित जाति / जनजाति कृषक प्रतिनिधि ग्राम मरदानपुर विकासखण्ड खिरकिया	सदस्य
17	श्री पी.गुजरे	उप संचालक कृषि सह परियोजना संचालक हरदा	सचिव

8-2- Order of Formation .

कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली बोर्ड, परिषद, समितियों की जानकारी :-

9- Directory of the Officers and employees (to belinked with treasury data bank) U/S 4.1 (b)(ix)

क्र०	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थ स्थान	वर्तमान पता	दूरभाष क्रमांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री पी.गुजरे	उ.सं.कृ.	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
2	श्री विलास पाटिल	स.स.कृ.	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
3	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद परमार	स.स.कृ.	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
4	श्री सुरेन्द्र अमरुते	स.स.कृ.	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
5	श्री देवीसिंह वर्मा	स.स.कृ.	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	
6	श्री बी.डी.उपाध्याय	वरि कृ.वि.अधि.	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
7	श्री एस.एल. चौधरी	कृ.वि.अधि.	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
8	श्री	शीघ्रलेखक	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
9	श्री आर.बी. तिरोल्या	लेखापाल	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
10	श्री आर.एस.मेहर	मुख्य लिपिक	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
11	श्री एच.पी.मालवीय	सहायक ग्रेड-2	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
12	श्री एम.पी. अग्रवाल	सहायक ग्रेड-3	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
13	श्री जे.पी. इंगले	सहायक ग्रेड-3	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610

14	श्री	कृषि प्रदर्शक	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
15	श्री	संगणक	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
16	श्री आर.के. मीणा (रेगूलर कन्टेनजेन्सी)	वाहन चालक	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
17	श्री प्रेमगिरी गोस्वामी (रेगूलर कन्टेनजेन्सी)	वाहन चालक	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
18	श्री एस.पी. गौर	भृत्य	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
19	श्री एल.एन. यादव	भृत्य	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
20	श्री बी.एम. सोलंकी	भृत्य	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
21	श्री एम.एस. राजपूत	भृत्य	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
22	श्री एम.पी.वर्मा	भृत्य	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
23	श्री शेख रमजान	चौकीदार	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610
24	श्री अशोक कुमार	हेल्पर	हरदा	किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा	07577-225610

1- Monthly remuneration and compensation (to be linked with treasury Data Bank) U/S 4.1(b)(x)

क्र०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	जमा की जाने वाली राशि
1	2	3	4
1	श्री पी.गुजरे	उ.सं.कृ.	44717.00
2	श्री विलास पाटिल	स.स.कृ.	28670.00

3	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद परमार	स.स.कृ.	28670.00
4	श्री सुरेन्द्र अमरुते	स.स.कृ.	28670.00
5	श्री देवीसिंह वर्मा	स.स.कृ.	28670.00
6	श्री बी.डी.उपाध्याय	वरि कृ.वि.अधि.	30786.00
7	श्री एस.एल. चौधरी	कृ.वि.अधि.	23351.00
8	श्री	शीघ्रलेखक	
9	श्री आर.बी. तिरोल्या	लेखापाल	25095.00
10	श्री आर.एस.मेहर	मुख्य लिपिक	21226.00
11	श्री एच.पी.मालवीय	सहायक ग्रेड-2	
12	श्री एम.पी. अग्रवाल	सहायक ग्रेड-3	17836.00
13	श्री जे.पी. इंगले	सहायक ग्रेड-3	14192.00
14	श्री	कृषि प्रदर्शक	—
15	श्री	संगणक	12475.00
16	श्री आर.के. मीणा (रेगुलर कन्टेनजेन्सी)	वाहन चालक	12475.00
17	श्री प्रेमगिरी गोस्वामी (रेगुलर कन्टेनजेन्सी)	वाहन चालक	14725.00
18	श्री एस.पी. गौर	भृत्य	13506.00
19	श्री एल.एन. यादव	भृत्य	13506.00
20	श्री बी.एम. सोलंकी	भृत्य	13506.00
21	श्री एम.एस. राजपूत	भृत्य	13725.00
22	श्री एम.पी.वर्मा	भृत्य	11648.00
23	श्री शेख रमजान	चौकीदार	8718.00
24	श्री अशोक कुमार	हेल्पर	9020.00

Annual Budget allocation and Expenditure statement (to be linked with treasury Date Bank) U/S 4.1

योजना अंतर्गत आवंटन एवं व्यय की जानकारी माह मार्च 2010-2011 तक उप संचालक कृषि जिला -हरदा

कृषि विभागीय योजना

पंचायती राज योजना

राशि लाख रु. में

क्रमांक	नाम योजनाये	लेखा शीर्ष	प्राप्त आवंटन	व्यय	शेष	व्यय का प्रतिशत	सर्मपण	अति.मांग
अ-	मेक्रोमेनेजमेंट योजनाये							
1	आई.सी.डी.पी.मोटा अनाज	13-2401	-	-	-	-		
		41-2401	-	-	-	-		
		64-2401	-	-	-	-		
		80-2401	-	-	-	-		
		52-2401	-	-	-	-		
		15-2401	-	-	-	-		
		योग	-	-	-	-		
2	सतत् गन्ना विकास योजना	13-2401	100000	-	100000	-	-	-
		41-2401	-	-	-	-	-	-
		64-2401	-	-	-	-	-	-
		80-2401	-	-	-	-	-	-
		52-2401	-	-	-	-	-	-
		15-2401	-	-	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-
3	राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना	13-2401	3500000	2500000	1000000			
		41-2401	-	-	-	-	-	-
		64-2401	-	-	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-

4	कृषि यंत्रीकरण योजना	13-2401	995795.00	463678.00	-	-	-	-
		41-2401	45279.00	45279.00	-	-	-	-
		64-2401	91375-00	19375-00	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-
5	आई.एन.एम.योजना	13-2401	50300	34000	16300	-	-	-
		41-2401	-	-	-	-	-	-
		64-2401	-	-	-	-	-	-
		74-2401	13000.00	3000.00	10000.00	-	-	-
		52-2401	2000.00	2000.00	-	-	-	-
		15-2401	1000.00	1000.00	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-
6	भूमिगत जलसंवर्धन	13-2401	392000-00	392000-00	-	-	-	-
		41-2401	3284000-00	3284000-00	-	-	-	-
		64-2401	1835000-00	1835000-00	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-
	योग मेकोमेनेजमेंट योजना	-	-	-	-	-	-	-
ब-	तकनीकी मिशन योजना							
1	आईसोपाम योजना मक्का	13-2401	203487-00	203487-00	-	-	-	-
		41-2401	135694-00	135694-00	-	-	-	-
		64-2401	-	-	-	-	-	-
		52-2401	-	-	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-

2	आईसोपाम योजना तिलहन	13-2401	3792225-00	2206725-00	1585500-0	-	-	-
		41-2401	766334-00	478334-00	288000-0	-	-	-
		64-2401	825398-00	472398-00	353000-0	-	-	-
		74-2401	1601696-00	1089196-00	512500-0	-	-	-
		52-2401	351270-00	213070-0	138200-0	-	-	-
		15-2401	368755-0	219255-0	149500-0	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-
3	आईसोपाम योजना दलहन	13-2401	-	-	-	-	-	-
		41-2401	-	-	-	-	-	-
		64-2401	-	-	-	-	-	-
		80-2401	-	-	-	-	-	-
		52-2401	-	-	-	-	-	-
		15-2401	-	-	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-
	योग आईसोपाम		-	-	-	-	-	-
4	सघन कपास विकास	13-2401	417190-0	-	-	-	-	-
		41-2401	-	-	-	-	-	-
		64-2401	-	-	-	-	-	-
		80-2401	-	-	-	-	-	-
		52-2401	-	-	-	-	-	-
		15-2401	-	-	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-
5	बीज ग्राम योजना	13-2401	1132000-00	824530.00	307470.0	-		

6	पोस्ट हार्वेस्टिंग योजना	13-2401	24000-00	-	-	-		
	योग तकनीकी मिशन योजना		-	-	-	-		
स-	राज्य योजनायें							
1	नलकूप योजना	52-2401	182000-0	132000-0	50000-0	-	-	-
		15-2401	143000.0	93000-0	50000-0	-	-	-
	योग		-	-	-	-	-	-
2	सूरजधारा योजना	41-2401	717777-0	592777-0	125000-0	-	-	
		64-2401	668132-0	593132-0	75000-0	-	-	
	योग		-	-	-	-	-	
3	अन्नपूर्णा योजना	41-2401	318740-00	218840-00	99900-0	-	-	-
		64-2401	238670-0	99220-00	139450-0	-	-	-
	योग		-	-	-	-	-	-
4	अज /अजजा कृषकों के लिये प्रशि.	64-2401	-	-	-	-	-	
5	बैलगाडी अनुदान	13-2401	15000-00	10000-00	5000-00	-		
		41-2401	-	-	-	-	-	-
		64-2401	-	-	-	-	-	-
	योग		-	-	-	-	-	-
6	कृषि में महिलाओं की भागीदारी (मापवा)	13-2401	119400-00	79400-0	40000-0	-		
		41-2401	-	-	-	-	-	-
		64-2401	6600-0	6600-0	-	-	-	-
	योग		-	-	-	-	-	
7	बलराम तालाब योजना	13-2401	1466199-00	900000-0	-	-	566199-0	
		41-2401	0.00	0.00	0.00	0		
		64-2401	-	-	-	-		

		योग	-	-	-	-	-	-
8	कृषक प्रशिक्षण	64-2401	272000-0	14200-0	13000-0	-	-	-
9	सूचना एवं प्रचार प्रसार	64-2401	24000-0	18000-0	6000-0	-	-	-
10	गोबर गैस संयंत्र	13-2401	803000-0	70000-0	10300-0	-	-	-
		41-2401	30000-0	-	30000	-	-	-
		64-2401	35000-0	25000-0	10000	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-
11	सिंप्रकलर टाप अप	13-2401	2146500-0	2146500-0	-	-	-	-
		41-2401	315000-0	315000-0	-	-	-	-
		64-2401	468000-0	468000-0	-	-	-	-
		योग	-	-	-	-	-	-

12- Programmes and beneficiaries U/S 4.1 (b) (xii)

सूचना के अधिकारों के अंतर्गत विभागीय संचालित कार्यक्रमों की सूची एवं हितग्राहियों के चयन प्रक्रिया संचालित योजना की जानकारी

1. योजना का नाम :-
 1. तिलहन विकास योजना
 2. दलहन विकास योजना
 3. मक्का विकास योजना
 4. एकीकृत अनाज विकास योजना
 5. सतत गन्ना विकास योजना
 6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
 7. रा.खा.सु.मि. गेहूँ एव दलहन।
 8. कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम।

हितग्राहियों के चयन प्रक्रिया :-

1. उक्त योजना में लघु सीमान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता ।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा विगत वर्ष से दो गुना हितग्राहियों की सूची ग्राम सभा की कृषि स्थाई समिति की सहमति से तैयार करेंगे ।
3. पूर्व वर्षों में लाभान्वित कृषकों के नाम सूची में शामिल न किये जावे ।
4. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम सभा की कृषि स्थाई समिति से सूची अनुमोदित कराकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ग्राम सभा की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदित कराकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।
5. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से लेंगे । अनुमोदित सूची में पहले लिखे नामों को वरियता दी जावे । शेष नाम प्रतीक्षा सूची में रहेंगे ।
6. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अनुमोदित सूची अनुसार कार्यक्रम सम्पादित करेंगे ।
7. लक्ष्य कम होने की स्थिति में ग्राम सभा से अनुमोदित सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा उप संचालक कृषि को अग्रेषित की जावेगी । उप संचालक कृषि सूची का अनुमोदन जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से लेंगे ।
8. प्रतीक्षा सूची तब तक मान्य रहेगी जब तक नई सूची का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा नहीं किया जाता है ।

वित्तीय सहायता देने वाली संस्था :-

वित्तीय सहायता देने वाली संस्था राज्य शासन का कृषि विभाग है सहायता राशि कृषकों को नगद नहीं दी जावे वरन योजना की सामग्री जिसकी व्यवस्था अर्द्धशासकीय संस्था राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, म.प्र. राज्य सह. विपणन संघ म.प्र. राज्य बीज एवं प्रक्षेत्र विकास निगम से की जाती है संस्थाएं कृषक अंश प्राप्त कर लेती है जब अनुदान अंश संस्था को प्रदान कर दिया जाता है ।

13- List of the recipients and nature of concession U/S 4-1 (B) (xiii)

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं :-

घटक
वर्मी कम्पोस्ट
स्प्रिंकलर वितरण

हितग्राही संख्या

पाइप लाइन
पक्के नाडेप
मिनीकिट

- 14- Information available in the office (Link with Item 6)
U/s 4.1 (b) (xiv)

----- NIL -----

- 15- Facility available in the office (link with Item 6) U/S 4.1 (b) (xiv)

----- NIL-----

- 16- Information about the PIO / Designation / working experience U/S 4.1 (b) (xvi)

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित, कार्यालयीन आदेश क्रं /जी-6/सूचना /2005-06/ 804 दिनांक 09/09/05 के द्वारा सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है सूची संलग्न है ।

जिला स्तरीय	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पद	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम	पद
1	2	3	4	5
कार्यालय उप संचालक कृषि	डॉ. आर.पी. परमार	सहायक संचालक कृषि वर्ग-02	श्री व्ही.डी. उपाध्याय	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
अनुविभागीय कृषि अधिकारी हरदा	श्री व्ही.के.भट्ट	अनुविभागीय कृषि अधिकारी हरदा वर्ग -02	श्री एन.आर. सविता	विषय वस्तु विशेषज्ञ
सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी हरदा	श्री एच.ओमकार	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी हरदा	श्री जे.एस. तोमर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
विकासखंड स्तरीय				

हरदा	श्री टी.एस.ठाकुर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	—	—
टिमरनी	श्री सी.के.त्रिपाठी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	श्री बी.के.राऊत	कृ.वि.अ.
खिरकिया	श्री जे.एस.तोमर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	श्री ए.के. चिमनिया	कृ.वि.अ.

17- Any other Information in citizen related facilities

U/S 4.1 (b) (xvii)

अन्य प्रासंगिक जानकारी जिसकी आम नागरिक से हो तो उन जानकारी को आलेख संलग्न है ।

1. मैक्रोमेनेजमेंट की योजना के अन्तर्गत कृषि यांत्रिकरण के प्रोत्साहन

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार घटकां को सम्मिलित किया गया है :-

- हस्तचलित बैलचलित उन्नत कृषि यंत्र/हार्टीकल्चर टूल्स पर अनुदान ।
- शक्तिचलित उन्नत कृषि यंत्र पर अनुदान ।
- पावर टिलर पर अनुदान ।
- 40 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक के ट्रेक्टर क्रय पर अनुदान ।
- पोस्ट हार्वेस्ट उपकरण जैसे – मिनी राईस सीड ग्रेडर के क्रय पर अनुदान ।

3. इन सभी घटकों को समेकित करते हुए वर्ष 2010–2011 के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर जिले वार एवं सत्रवार विवरण के साथ संलग्न है । इन घटकों पर सभी वर्ग के कृषकों को निम्नानुसार अनुदान की पात्रता होगी ।

1	बैल चलित कृषि यंत्र	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2500/- में से जो भी कम हो ।
2	हस्तचलित कृषि यंत्र/हॉर्टीकल्चर टूल्स	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2000/- में से जो भी कम हो ।
3	शक्ति चलित कृषि उपकरण जैसे – एम.बी. प्लाऊ, डिस्क हैरो ब्लेक टेरेसर/लेवलर सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल वंड फार्मर,	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये आफसेट 10000/- में से जो भी कम हो ।
4	शक्ति चलित मल्टीक्राप थ्रेशर	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकत रूपये 12000/- में से जो भी कम हो ।
5	शक्ति चलित थ्रेशर-एक्सियल फलो पैडी थ्रेशर सन फ्लावर थ्रेशर	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकत रूपये 15000/- में से जो भी कम हो ।
6	शक्ति चलित विशिष्ट कृषि उपकरण जैसे –जीरो टिलेज सीड ड्रिल सीड ग्रेडर मोटर सहित रोटोवेटर शुगरकेन कटर, प्लाटर, पोटेटो डिगर/पोटेटो प्लांटर , ट्रेक्टर , चलित फ्रट माउण्टेड रीपर स्ट्रा रीपर मीनी राईस मिल मेज शेलर, इन्क्लाईन्ड प्लेट	कीमत का 40 प्रतिशत अधिकत रूपये 20000/- में से जो भी कम हो ।

	प्लांट , टिलप्लान्टर	
7	स्वचलित कृषि यंत्र जैसे –पैडी ट्रान्सप्लांतर सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर (राइड आन एवं वर्किंग टाईप)	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 40000 /- में से जो भी कम हो ।
8	पावर टिलर	कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 45000 /- में से जो भी कम हो ।
9	40 पी.टी.ओ. हार्स पावर तक के ट्रेक्टर	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 45000 /- में से जो भी कम हो ।
	स्ट्रारीपर	कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपये 80000 /- में से जो भी कम हो ।

11. कृषि यंत्रों एवं पावर टिलर की अनुदान राशि जिले के उप संचालक कृषि को आवंटित की जावेगी। कृषि यंत्रों एवं पावर टिलर का वितरण वित्तीय प्रावधान की सीमा तक किया जावे । यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देश है कि लकड़ी के बने कृषि यंत्रों के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु लोहे के बने हुए उन्नत कृषि यंत्रों को प्रोत्साहित करने की कार्यवाही की जावे । अतः यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जावे । यंत्रों के साथ- साथ लोहे की बीम का प्रयास अधिकाधिक किया जावे ।
12. शक्ति चलित कृषि यंत्रों के लिए आपको दिये गये यंत्रों का ही वितरण किया जावेगा एवं उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत इनकी संख्या में फेरबदल मान्य किया जा सकता है यद्यपि यंत्रों के लक्ष्य का विभाजन जिले में यंत्रों की उपयोगिता एवं कृषकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है , फिर भी ऐसे यंत्र जिनका लक्ष्य आपके जिले को नहीं दिया गया है, परन्तु कृषकों में इनकी मांग हो तो तदानुसार उनका भी विवरण किया जा सकता है।
13. बैल चलित कृषि यंत्रों का प्रदाय म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम एवं कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के माध्यम से होगा । पावर टिलर्स एवं शक्ति चलित कृषि यंत्रों का प्रदाय म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम एवं म.प्र. राज्य सहकारी विनयन संघ के माध्यम से होगा । योजनान्तर्गत वितरित होने वाले ट्रेक्टरों का प्रदाय भी मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के माध्यम से होगा एवं इसके लिए अनुदान राशि निगम को पृथक से संचालनालय से प्रदाय की जावेगी।
जिन हितग्राहियों के पास ट्रेक्टर उपलब्ध हो , उनकी हितग्राहियों को ट्रेक्टर चलित उपकरणों के लिए अनुदान स्वीकृत किया जावे । यह ध्यान रखा जावे कि हितग्राहियों के पास उपलब्ध ट्रेक्टर के हार्स पावर के अनुरूप ही ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र/ उपकरण का प्रदाय हो । लक्ष्य का विभाजन विकास खंडवार/ यंत्रवार किया जाकर अधीनस्थों को लक्ष्य- पूर्ति हेतु उत्तरदायी बनाया जावे । पंजीकृत निजी विक्रेता पूर्ण राशि भुगतान करने पर भी आवेदक को अनुदान देय है।

2. सूरजधारा योजना :-
बीज अदला-बदली कार्यक्रम
2.1 हितग्राही का चयन

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों का प्राथमिक चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जावेगा । ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लक्ष्यों से डेढ़ गुना हितग्राहियों का चयन करेंगे ।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषकों के नामों की सूची तैयार कर वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को प्रेषित करेंगे ।
3. प्रतिवर्ष नये कृषकों को बीज दिया जावेगा । यदि पुराने कृषक को पुनः बीज दिया जाता है तो उस फसल/किस्म के लिए नहीं दिया जायेगा, जिसे पूर्व के वर्षों में दिया गया था। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक कृषक लाभकारी नई फसल अपना सकें ।
4. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त प्राथमिक सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से करायेगा इस सूची में पहले से लिखे नामों की वरीयता दी जावेगी । शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची फसल मौसम तक ही मान्य रहेगी। और अंतिम होगी इसमें किसी अन्य स्तर से फेरबदल नहीं किया जावेगा ।

बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम :-

1. बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जानजाति के ऐसे लघु एवं सीमांत कृषकों जो स्वयं का बीज तैयार करने के इच्छुक हो, का चयन किया जायेगा ।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्राप्त सूचितयों को संकलित कर अनुविभागीय कृषि भेजेंगे ।
3. इस सूची में प्रत्येक विकास खंड के लिए पहले लिखे नामों की वरीयता दी जावेगी शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची फसल मौसम तक की मान्य होगी ।

बीज उत्पादन कार्यक्रम :-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लघु एवं सीमांत कृषकों जो बीजोत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु इच्छुक हो का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जावे ।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लक्ष्य से डेढ़ गुना हितग्राहियों का चयन कर सूची तैयार करेंगे ।
3. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हितग्राहियों की सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ प्रक्षेत्र अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे ।
4. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/प्रक्षेत्र अधीक्षक प्राप्त सूची का परीक्षण कर अनुविभागीय कृषि अधिकारी का अनुमोदन लेंगे। इस सूची में पहले लिखे नामों को वरिष्ठता दी जावे। शेष कृषको प्रतीक्षा में सूची में रहेग। प्रतीक्षा सूची फसल मौसम तक ही मान्य होगी ।

अन्नपूर्णा योजना :-

बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम :-

हितग्राहियों का चयन :-

1. बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लघु एवं सीमांत कृषकों जो स्वयं का बीज तैयार करने के इच्छुक को का चयन किया जायेगा।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्राप्त लक्ष्य से डेढ़ गुना कृषकों का चयन कर सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूचियों को संकलित कर अनुविभागीय कृषि अधिकारी को भेजेगे।
4. इस सूची में प्रत्येक विकास खंड के लिए पहले लिखे नामों को वरीयता दी जायेगी। शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेगे। प्रतीक्षा सूची फसल मौसम तक ही मान्य होगी।

बीज अदला-बदली कार्यक्रम

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों का प्राथमिक चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जावेगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लक्ष्यों से डेढ़ गुना हितग्राहियों का चयन करेंगे।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषकों के नामों की सूची तैयार कर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
3. प्रतिवर्ष नये कृषकों को बीज दिया जावेगा। यदि पुराने कृषकों को पुनः बीज दिया जाता है तो उस फसल/किस्म के लिए नहीं दिया जावेगा जिसे पूर्व के वर्षों में दिया गया था। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक कृषक लाभकारी नई फसल/ किस्मों को अपना सके।
4. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त प्राथमिक सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से करायेगे। इस सूची में पहले लिखे नामों को वरीयता दी जावेगी। शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेगे। प्रतीक्षा सूची फसल मौसम तक ही मान्य रहेगी। और अंतिम होगी इसमें किसी अन्य स्तर से फेरबदल नहीं किया जावेगा।

बीज उत्पादन कार्यक्रम :-

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लघु एवं सीमांत कृषकों जो बीजोत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु इच्छुक हो का चयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जावे।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लक्ष्य से डेढ़ गुना हितग्राहियों का चयन कर सूची तैयार करेंगे।
3. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हितग्राहियों की सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ प्रक्षेत्र अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
4. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/प्रक्षेत्र अधीक्षक प्राप्त सूची का परीक्षण कर अनुविभागीय कृषि अधिकारी का अनुमोदन लेंगे। इस सूची में पहले लिखे नामों को वरिष्ठता दी जावे। शेष कृषकों प्रतीक्षा सूची में रहेगे। प्रतीक्षा सूची फसल मौसम तक ही मान्य होगी।

4. नलकूप योजना :-

नलकूप योजनान्तर्गत शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को नलकूप खनन में लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 15000/- अनुदान देय है। एवं समर्पित विद्युत पम्प पर लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 9000/- रुपये का अनुदान देय है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के कृषकों को नलकूप खनन पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15000.00 रु. जो भी कम हो समर्पित विद्युत पम्प प्रतिष्ठापन पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 9000.00 जो भी कम हो अनुदान देय है।

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिल हरदा (म.प्र.)
कृषक हितार्थ विभागीय योजनाये

क्रमांक	योजना का नाम	घटक	अनुदान राशि	पात्रता
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ एवं दलहन	प्रदर्शन	2000/- प्रति प्रदर्शन	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		जिप्सम	750/- प्रति हेक्टर तथा 5 हेक्टर तक	
		माइक्रोन्यूट्रेंट	500/- प्रति हेक्टर 5 हेक्टर तक	
		राइजोबियम कल्चर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 100/- प्रति हेक्टर 5 हेक्टर तक	
		पी.एस.बी.कल्चर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 100/- प्रति हेक्टर 5 हेक्टर तक	
		आई.पी.एम	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 750/- प्रति हेक्टर 5 हेक्टर तक	
		पी.पी.केमीकल्स	500/- प्रति हेक्टर	
		खरपतवारनाशी	500/- प्रति हेक्टर	

		नैपसेक स्प्रेयर पंप	लागत का 50 प्रतिशत् अथवा अधिकतम 3000/- प्रति स्प्रेयर पंप	
		सीडड्रिल	15000/- प्रति सीडड्रिल	
		रोटावेटर	30000/- प्रति रोटावेटर	
		स्प्रिंकरल सेट	7500 प्रति सेट एवं 4500 टॉप अप अनुदान	
		डीजल/विद्युत पम्प	लागत का 50 प्रतिशत् या अधिकतम 10000/- प्रति पंप	
		नाडेप	लागत का 50 प्रति.या 2000 प्रति नाडेप अधिकतम 5 नाडेप	
		वर्मी कम्पोस्ट	लागत का 50 प्रति. या 500 प्रति वर्मीपीट अधिकतम 5 पिट	
2	राष्ट्रीय बायोगैस संयंत्र योजना	बायोगैस संयंत्र निर्माण	1 घ.मी.क्षमता संयंत्र पर ईकाई लागत का 50 प्रतिशत् अथवा अधिकतम 4000/- प्रति संयंत्र एवं 2 से 4 घन.मी. क्षमता संयंत्र पर लागत का 50 प्रतिशत् अथवा अधिकतम 8000/- प्रति संयंत्र 4 घन.मी. से अधिक क्षमता वाले संयंत्र पर अनुदान समाप्त कर दिया गया है 1 से 4 घन.मी.क्षमता के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर सभी हितग्राहियों को प्रति संयंत्र रु. 2500/- का टॉप अप अनुदान राज्य शासन की ओर से देय है। रु. 2500/- टॉप अप प्रति संयंत्र अतिरिक्त	सभी वर्ग के कृषकों के लिये

3	आई.एन.एम. योजना	वर्मी कम्पोस्ट पिट	वर्मी कम्पोस्ट पिट लागत का 25 प्रतिशत् या अधिकतम 1000/- प्रति दो पिट	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		बी.जी.ए.कल्चर	लागत का 25 प्रतिशत् या रु. 1000 प्रति हेक्टर जो भी कम हो	
		हरी खाद	हरी खाद लागत का 25 प्रतिशत् या अधिकतम 1000/- प्रति हे. जो भी कम हो	
4	कृषि यंत्रीकरण	हस्त/बैल चलित यंत्रो	लागत का 25 प्रतिशत् अजा/अजजा के कृषको को 50 प्रति.टॉप अप अतिरिक्त	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		ट्रेक्टर	45000 या 50 प्रतिशत्	
		पावर ट्रिलर	8 बी.एच.पी.तक 40 प्रति.या 45000/- 8 बी.एच.पी.से ऊपर 25 प्रति. या 45000.00	
		शक्ति चलित यंत्र पर	लागत का 25 प्रतिशत या 10,000	
		हार्वेस्टर	25 प्रतिशत् या 1.50 लाख रुपये अधिकतम	
5	बैलगाड़ी योजना	बैलगाड़ी	5000/- प्रति बैलगाड़ी	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
6	मिट्टी परीक्षण	मुख्य तत्व	5/- प्रति नमुना शेष अनुदान 3/- प्रति नमुना शेष अनुदान	सामान्य कृषको के लिये अ.जा/अ.ज.जा कृषको के

		सुक्ष्म तत्व	40 रु. प्रति नमूना शेष अनुदान 25 रु. प्रति नमूना शेष अनुदान	सामान्य कृषको के लिये अनु.जाति/जन जाति कृषको के लिये
7	सतत् गन्ना विकास	बीज प्रगुणन ड्रिप सेट कृषक प्रशिक्षण भ्रमण	10 प्रतिशत् या 2000/- हे. 50 प्रतिशत् या 30000/-प्रति सेट 40 कृषकों हेतु 50 प्रति.या अधिक 50000/- प्रति.	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
8	राज्य पोषित नलकूप खनन अनुसूचित जाति जन जाति	नलकूप खनन	लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 15000/- रुपये अनुदान	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कृषकों के लिये
		सबमर्सीबल विद्युत पम्प प्रतिस्थापन	लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 9000 रुपये अनुदान	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कृषकों के लिये
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	नलकूप खनन	लागत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 15000/- रु0	सामान्य वर्ग के कृषकों के लिये
		सबमर्सीबल विद्युत पम्प प्रतिस्थापन	लागत का 50 प्रतिशत् अधिकतम 9000/- रुपयं	सामान्य वर्ग के कृषकों के लिये

10	“पोस्ट हार्वेस्टर टेक्नोलॉजी एण्ड मेनेजमेन्ट	स्ट्रारीपर	लागत का 40 प्रतिशत् अधिकतम 80,000/- रु0	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
11	बलराम तालाब	बलराम तालाब निर्माण	सामान्य कृषक लागत का 40 प्रतिशत् अधिकतम राशि रु. 80,000 अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जन जाति कृषको को लागत का 75 प्रतिशत् अधिकतम राशि 1.00 लाख	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
12	सुरजधारा दलहनी फसले	बीज अदला बदली	आधार/प्रमाणित बीज वितरण पर 75 प्रतिशत्	अ.जा/अ.ज.जा/वर्ग के कृषक हेतु 1 हे. लगने वाले खरीफ/रबी बीज पर 75 प्रतिशत् अनुदान
		बीज स्वाबलम्बन	आधार/प्रमाणित बीज वितरण पर 75 प्रतिशत्	अ.जा/अ.ज.जा.वर्ग के कृषकों हेतु धारित जमीन के 1/10 हे. तक बीज खरीफ रबी हेतु।
		बीज उत्पादन	आधार/प्रमाणित बीज वितरण पर 75 प्रतिशत्	अ.जा/अ.ज.जा वर्ग को 1 हे.तक बीज उत्पादन पर अनुदान
13	अन्नपूर्णा खाद्यान्न फसलें	बीज अदला बदली	आधार/प्रमाणित बीज वितरण पर 75 प्रतिशत्	अ.जा./अ.ज.जा वर्ग को 1 हे. तक खरीफ/रबी बीज वितरण पर अनुदान

		बीज स्वाबलम्बन	आधार/प्रमाणित बीज वितरण पर 75 प्रतिशत्	अ.जा/अ.ज.जा वर्ग के कृषकों को धारित जमीन के 1/10 हे. तक बीज वितरण
		बीज उत्पादन	आधार/प्रमाणित बीज वितरण पर 75 प्रतिशत्	अ.जा/अ.ज.जा वर्ग के कृषकों को 1/2 ए.सी.आर अधिकतम 1 हे. हेतु खरीफ /रबी बीज वितरण
14	बीज ग्राम	बीज एवं प्रशिक्षण	आधार/प्रमाणित बीज वितरण 50 प्रतिशत विभिन्न फसल अवस्था पर चयनित कृषकों को तीन प्रशिक्षण	चयनित बीज ग्राम के सभी श्रेणी के चयनित कृषकों को 1/2 एकड़ बीज वितरण खरीफ रबी
15	आइसोपाम	पौ.सं. हस्तचलित	कीमत का 50 प्रतिशत् या अधिकतम 800 रु.	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		शक्ति चलित	कीमत का 50 प्रतिशत् या अधिकतम 2000 रु.	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		स्पिकलरं सेट	कीमत का 50 प्रति.अधिकतम 7500 रु.	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		पौध सं.औषधि	कीमत का 50 प्रतिशत् अनुदान अधिकतम 500 रु प्रति.हे.	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		खरपतवारनाशी	कीमत का 50 प्रतिशत् अनुदान अधिकतम 500 रु. प्रति.हे.	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		पाइप लाईन	कीमत का 50 प्रतिशत् या अधिकतम 15000 रु.	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		जिप्सम	कीमत का 50 प्रतिशत् अनुदान अधिकतम 750 रु प्रति.हे.	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
		सूक्ष्म तत्व	कीमत का 50 प्रतिशत् अनुदान अधिकतम 500 रु प्रति.हे.	सभी वर्ग के कृषकों के लिये

16	कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा)	प्रशिक्षण, प्रदर्शन , भ्रमण, पुरस्कार समूह गठन	आत्मा प्रावधान अनुसार (10 + 90)	सभी वर्ग के कृषकों के लिये
17	कृषि में महिलाओं की भागीदारी	प्रशिक्षण	कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला भ्रमण एवं कृषक दीदी को प्रशिक्षित कर कृषि की उन्नत तकनीक से अवगत कराना ।	सभी वर्ग के कृषकों के लिये

जय हिन्द

